न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी डूंगरपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी **निकया गोहाएन**,आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 94/2014 दायर दिनांक 16.10.2014

निर्णय दिनांक 11.4.2016

श्रीमति शान्ता बेवा मनमोहन मीणा व सौरभ टिना नाबालिग की माता शान्ता बेवा मनमोहन मीणा निवासी डूंगरपुर तहसील व जिला डूंगरपुर (राजस्थान) ——वादीया

बनाम

1—श्री सुभाष पिता नारायणलाल जाति मीणा निवासी डूंगरपुर

2—श्री मनु पिता नारायणलाल जाति मीणा निवासी डूंगरपुर

3—श्रीमति पानदेवी बेवा नारायणलाल मीणा निवासी डूंगरपुर

4—श्री लेण्ड होल्डर तहसीलदार डूंगरपुर जिला डूंगरपुर ——प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने
अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

उपस्थित

1—श्री धर्मेन्द्र व्यास वकील —वादीया

2—श्री किशन डामोर वकील —प्रतिवादीगण

—ःनिर्णयः—

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादिया की ओर से वाद वास्ते बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रस्तुत करते हुए राजस्व ग्राम डूंगरपुर के खसरा संख्या 571 रकबा 2 बीघा 5 बीस्वा एवं 572 रकबा 1 बीघा 11 बीस्वा कुल किता 2 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा कृषि भूमि बाबत प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया गया था। प्रकरण में पक्षकारगणो की सुनवाई उपरान्त निर्णय दिनांक 20.4.2015 के द्वारा प्रारम्भिक डिकरी जारी करते हुए तहसीलदार डूंगरपुर को राजस्व रिकार्ड के आधार पर बंटवारा करते हुए फैहरिस्त बंटवारा एवं नक्षा ट्रेस पेश करने आदेशित किया गया था। तहसीलदार डूंगरपुर के प्रतिवेदन दिनांक 28.5.2015 के कम में पक्षकारगणों की सुनवाई उपरान्त आदेश दिनांक 14.8.2015 के द्वारा तहसीलदार डूंगरपुर को उनके प्रारम्भिक पर्चा दिनांक 9.3.2015 के कम में वादग्रस्त भूमि में वादिया के हिस्सा 1/4 के साथ ही प्रतिवादीगण/राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे दर्ज खातेदारान के नाम दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर काबिज स्थिति एवं सडक पर सभी की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए बंटवारा स्कीम मय नक्षा के पेश करने हेतु आदेशित किया गया। तहसीलदार डूंगरपुर की रिपोर्ट कमांक 798 दिनांक 1.3.2016 मय नक्षा एवं बंटवारा स्कीम के प्राप्त होकर संलग्न पत्रावली है।

तहसीलदार डूंगरपुर की प्राप्त बंटवारा स्कीम के कम में उभय पक्षों को आज सुना गया। उभय पक्षों के उपस्थित अभिभाषकगणों ने प्राप्त बंटवारा स्कीम पर सहमति व्यक्त करते हुए अन्तिम आदेश/डिकरी जारी करने निवेदन किया गया।

Scanned by CamScanner

पत्रावली एवं प्राप्त बंटवारा स्कीम मय नक्षा का अवलोकन करते हुए मुताबिक बंटवारा स्कीम पक्षकारगण एवं जमाबंदी मे दर्ज सहखातेदारान के मध्य राजस्व ग्राम डूंगरपुर की जमाबंदी संवत 2049–52 के खाता संख्या 140 मे दर्ज खसरा संख्या 571 एवं 572 के कुल रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा का निम्नानुसार बंटवारा कर पृथक पृथक खाते दर्ज करने का आदेश दिया जाता है:–

1–सोरभ,टिना पिता मनमोहन, शान्ता बेवा मनमोहन, सोरभ,टिना ना.बा.की वली माता शान्ता मीणा सा.देह–खसरा नंबर 571 का रकबा 8 बिस्वा एवं 572 का रकबा 10 बिस्वा कुल रकबा 18 बीस्वा

2–सुभाष,मनु पिता नारायणलाल, पानदेवी बेवा नारायणलाल मीणा सा.देह– खसरा नंबर 571 का रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा एवं 572 का रकबा 10 बिस्वा कुल रकबा 2 बीघा 2 बीस्वा

3–आशादेवी पत्नि बाबुलाल कटारा निवासी पालमाथुगामडा– खसरा नंबर 571 का रकबा 5 बीस्वा एवं 572 का रकबा 11 बीस्वा कुल 16 बिस्वा

वादिया के हिस्से मे आई उपरोक्त भूमि पर प्रतिवादीगण/सहखातेदार किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं उत्पन्न करे एवं न ही किसी अन्य से करावें। नक्षा ट्रेस एवं बंटवारा स्कीम आदेश का भाग माना जावेगा। उपरोक्त अनुसार अंतिम डिकरी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.4.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निकया [illegible])
उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर
उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर(राज0)

Scanned by CamScanner